12.11.2025 वादी अनुपस्थित।

वादी के अधिवक्ता श्री बी.आर. पटेल उप.।

प्रतिवादी क.1 मृत।

प्रतिवादी क.2 द्वारा श्री दिलीपसिंह डाबी अधिवक्ता उप.।

प्रकरण वादी साक्ष्य अंतिम अवसर के साथ एवं वादी की ओर से परिव्यय राशि 1200/–रू. जमा कर रसीद हेतु नियत है।

वादी एवं उनकी साक्ष्य अनुपस्थित।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत है जो कि वाद की सुनवाई की तिथि है किंतु वादी एवं उसकी साक्ष्य उपस्थित नहीं।

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बी.आर.पटेल ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्हें वादी की ओर से प्रकरण के परिचालन संबंधी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं उनके द्वारा वादी को साक्ष्य उपस्थित रखने हेतु अवगत करवाया गया था। किंतु आज दिनांक को वादी उनके संपर्क में भी नहीं है। इसलिये वादी की ओर से निर्देश प्राप्त नहीं होने व पैरवी हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से वह वादी की ओर से आगे पैरवी नहीं करना चाहते हैं। इसलिये अदम पैरवी में वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि वादी को आज अंतिम अवसर के साथ वादी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु समय दिया गया था किंतु आज न तो वादी स्वयं या उसकी ओर से साक्ष्य उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता श्री बी.आर.पटेल ने भी वादी की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होना व पैरवी नहीं किये जाने का निवेदन

करते हुए प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण अदम पैरवी में आदेश 9 नियम 8 व्य.प्र.सं. के अनुसार खारिज किया जाता है। व्यय तालिका तैयार की जावें।

प्रकरण का परिणाम ''अ'' पंजी में व सी.आई.एस. में दर्ज कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार में संचित किया जावें।

(श्रीमती रिजवाना कौसर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
देपालपुर ज़िला इन्दौर (म.प्र.)

RIZVANA KAUSER
Digitally signed by RIZVANA KAUSER
Date: 2025.11.12 16:24:23 +0530